रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 1973/आषाढ़ 23, 1895

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 1973/ASADHA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th July 1973

No. F. A.11013/E/122/72-Ad. IV.—In partial modification of the orders contained in para 3 of the Resolution No. A. 11013/E/122/72-Ad. IV, dated the 9th January, 1973, the Government of India have decided that the Tobacco Excise Tariff (Expert) Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 31st December, 1973.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

JASJIT SINGH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली 14 जुलाई, 1973

सं० फ० ए० 11013/ई/122/72-प्रशा०-IV—दिनांक 9 जनवरी, 1973 के संकल्प सं० ए० 11013/ई/122/72–प्रशा०–iV के पैराग्राफ 3 में निहित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि तम्बाकू उत्पादनशुल्क टैरिफ (विशेषज्ञ) समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 31 दिसम्बर, 1973 से पहले पेश करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाय तथा इसे सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

जसजीत सिंह, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973